न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर, डीडवाना–कुचामन (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामकुमार टाडा, आर.ए.एस

अपीलान्टस् :–

1. हरिप्रसाद पुत्र कैलाश, जाति ब्रहाण निवासी बरूण, तहसील परबतसर
2. सुरेश पुत्र कैलाश, जाति ब्राहमण निवासी बरूण तहसील परबतसर
3. धर्मचन्द पुत्र कैलाश जाति ब्राहमण निवासी बरूण, तहसील परबतसर
4. मंजूदेवी पत्नी कैलाश जाति ब्राहमण निवासी बरूण, तहसील परबतसर

बनाम

रेस्पोडेन्टस् :–

1. ग्राम पंचायत बंवाल सरपंच
2. ग्राम पंचायत बंवाल़ जरिये ग्राम विकास अधिकारी
3. पटवारी, पटवार ,हल्का भड़सिया
4. उप–पंजीयक पीलवा़

नामान्तरण अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री श्यामनिरजंन बोहरा, अधिवक्ता अपीलान्टस्

मुकदमा नम्बर :– 2024/103 दिनांक :– 29.07.2025

–: आदेश :–

अधिवक्ता अपीलान्टस् श्री श्यामनिरजंन बोहरा ने यह नामान्तरण अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टस् पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम बरूण, पटवार हल्का भड़सिया तहसील परबतसर की सरहद में खेत खाता संख्या 97 खसरा नम्बर 102 रकबा 3.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 103 रकबा 0.6200 हैक्टर, खसरा नम्बर 672 रकबा 0.1300 हैक्टर, खसरा नम्बर 700 रकबा 0.5600 हैक्टर, खसरा नम्बर 701 रकबा 0.5300 हैक्टर, खसरा नम्बर 703 रकबा 0.5100 हैक्टर, खाता संख्या 35 खसरा नम्बर 262 रकबा 0.8700 हैक्टर, खसरा नम्बर 303 रकबा 1.9500 हैक्टर, खसरा नम्बर 304 रकबा 1.5900 हैक्टर, खसरा नम्बर 305 रकबा 1.3300 हैक्टर, खसरा

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

नम्बर 608 रकबा 0.0800 हैक्टर, खसरा नम्बर 699 रकबा 0.0600 हैक्टर भूमि स्थित है। विवादित आराजीयान की भूमि पुराने खसरा नम्बर 77 रकबा 22 बीघा, खसरा नम्बर 78 रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 514 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 542 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 543 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 585 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा कुल खसरान 6 कुल रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा भूमि आई हुई है तथा दूसरे खेत के पुराने खसरा नम्बर 265 रकबा 12 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर 266 रकबा 9 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 267 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 470 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 236 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 541 रकबा 7 बिस्वा कुल खसरान 6 कुल रकबा 36 बीघा 6 बिस्वा भूमी आई हुई है। विवादित आराजीयान की भूमि अपीलान्टस के परदादा दगडूरामजी की भूमि है। दगडूरामजी के दो वारीस बिरदीचन्द व जसकरण थे। जसकरण के कोई सन्तान नहीं थी जसकरण जी अपने भाई बिरदीचन्दजी के साथ संयुक्त हिन्दु परिवार में ही रहते थे जसकरणजी की मृत्यु के कई वर्षों बाद उनकी पत्नी झणकारी देवी की मृत्यु दिनांक 15/10/1984 को हो गई थी जसकरणजी व उनकी पत्नी झणकारीदेवी की सेवा चाकरी अपीलान्टस् के दादा बिरदीचन्दजी ने की थी तथा अपीलान्टस् के दादा बिरदीचन्दजी ही जसकरणजी व उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद 12 दिन पाले है तथा अपीलान्टस् के दादा बिरदीचन्दजी अपने पुत्र अपीलान्टस् के पिता कैलाशजी को जसकरणजी व उनकी पत्नी झणकारीदेवी को लेकर हरिद्वार भेजा था। जसकरणजी के कोई आल औलाद नहीं थी। जसकरणजी का की मृत्यु के वर्षों बाद औमप्रकाश ने अपने आप को जसकरणजी का गोद पुत्र बताते हुए हल्का पटवारी से मिलीभगत कर नामान्तकरण भरवाया था जबकी नामान्तकरण भरने के कई वर्षों बाद जसकरणजी की पत्नी झणकारीदेवी की मृत्यु दिनांक 15.10.1984 को हुई है जिससे भी स्पष्ट है कि औमप्रकाश ने हल्का पटवारी से मिलीभगत कर गलत नामान्तकरण दर्ज करवाया है। जसकरणजी की मृत्यु के कई वर्ष बाद अपीलान्टस् के बड़े पिता औमप्रकाश के द्वारा जसकरणजी की

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

खातेदारी की भूमि अपने नाम कराने की नियत से राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर फर्जी नामान्तकरण संख्या 120 दर्ज करवाया है जो दिनांक 11.10.1977 को हल्का पटवारी द्वारा भरा गया है जिसे ग्राम पंचायत बंवाल में पेश किया गया था ग्राम पंचायत बंवाल के सरपंच बालकिशन शर्मा द्वारा यह कहते हुए म्यूटेशन पर नोट लगाया की औमप्रकाश के पास कोई गोदनामा व लिखित नहीं है और जसकरण की औरत झणकारीदेवी जीवित है तथ इसी म्यूटेशन पर हल्का आर.आई द्वारा दिनांक 21.10.1977 को गोद होने का प्रमाण–पत्र लिया जाकर पेश करे का नोट लगाया गया है तथा इस म्यूटेशन में दोनों खातों की भूमि पर जहां औमप्रकाश खोले जसकरण लिखा हुआ है वहां दोनों जगह औमप्रकाश खोले को गोल किया हुआ है तथा एक गोले के उपर झणकारीदेवी बेवा व दूसरे गोले के नीचे झणकारीदेवी बेवा का नाम लिखा गया है। उसके बाद हल्का आर.आई. द्वारा नोट लगाया गया है कि अंकन पत्रों से तुलना की गई इन्द्राज सही पाया गया तथा उसके बाद हल्का आर.आई ने अपने हस्ताक्षर किये है जो दिनांक 28.11.1978 को किये गये है इस फर्जी नामान्तकरण संख्या 120 पर तहसीलदार परबतसर के कही कोई हस्ताक्षर नहीं है तथा बिरदीचन्द के पुत्र औमप्रकाश जो स्वयं को जसकरणजी का गोदपुत्र बताकर जसकरणजी के हिस्से की भूमि का नामान्तकरण अपने नाम भरवाना चाहता था उस नामान्तकरण में औमप्रकाश के नाम पर दोनो जगह गोला किया हुआ है। औमप्रकाश के नाम किसी तरह का कोई नामान्तकरण दर्ज नहीं किया गया है, जिसके बावजूद भी सम्वत 2032 से 2035 की जमाबन्दी में ''जसकरण फौत उनके दत्तक पुत्र औमप्रकाश'' दर्ज किया गया है जो पुराने खेत खसरा नम्बर 77, 78, 514, 542, 543, 545 कुल खसरान 6 कुल रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से 1/2 हिस्से में अपना नाम इस फर्जी नामान्तकरण के आधर पर औमप्रकाश ने हल्का पटवारी से मिलीभगत कर दर्ज करवाया है तथा दूसरा खाता जिसके पुराने खसरा नम्बर 265, 266, 267, 470, 236, 541 है जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 262, 303, 304, 305, 608, 699 है जिसकी खातेदारी आज भी

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

जसरकणजी के नाम से ही दर्ज है जिसमें जसकरणजी का 1/4 हिस्सा दर्ज है जिससे भी स्पष्ट है कि औमप्रकाश ने फर्जी तरीके से एक खेत की खातेदारी की भूमि नामान्तकरण संख्या 120 के आधार पर अपने नाम दर्ज करवाई है जो काबिल खारिज के है। विवादित आराजीयान की भूमि पर जसकरणजी की भूमि पर जसरकरणजी की मृत्यु के बाद कब्जा काश्त बिरदीचन्दजी का ही चला आ रहा था बिरदीचन्दजी की मृत्यु दिनांक 06.12.2012 को ही चुकी है तथा बिरदीचन्दजी की मृत्यु के बाद विवादित आराजीयान की भूमि जो जसकरणजी व बिरदीचन्दजी की थी उस पर कब्जा काश्त अपीलान्टस का चला आ रहा है। औमप्रकाश 40–50 साल से कर्नाटक रहता है तथा औमप्रकाश के सभी दस्तावेजात में आज भी पिता का नाम बिरदीचन्द ही है। अपीलान्टस ने अपने नाम नामान्तकरण दर्ज करवाने के लिए हल्का पटवारी से मिले व जमाबन्दी की नकले निकलवाई तब पता चला की एक खाते की भूमि जसकरणजी के स्थान पर अपीलान्टस के बड़े पिताजी औमप्रकाशजी के नाम दर्ज हो रखी है तथा दूसरे खेत की जसकरणजी के नाम से ही दर्ज है तब अपीलान्टस्ने पुराना राजस्व रेकर्ड निकलवाया तब इस फर्जी नामान्तकरण की पूर्ण जानकारी हुई। इसलिए अपीलान्टस विरूद्ध रेस्पोडेन्टस अपील पेश कर नामान्तनरण संख्या 120 दिनांक 28.11.1978 को निरस्त किया जाकर अपीलान्टस के नाम जसकरणजी की खातेदारी की भूमि में से 1/2 हिस्से का नामान्तकरण दर्ज किया जाने की इस्तदुआ चाही है।

अपील अपीलान्टस् द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्र किया जाकर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने पर बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 02.06.2025 को औमप्रकाश की और से प्रार्थना–पत्र पेश कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर म्यूट्रेशन संख्या 120 दिनांक 11.10.1977 को खारीज किये जाने का निवेदन किया तो पत्रावली बहस में तलब की गई। बहस वकील अपीलान्टस् की एक पक्षीय सुनी गई तो अपीलान्ट वकील ने

उपखण्ड अधिकारी

अपील का समर्थन करते हुए अपील स्वीकार फरमाया जाना जाहिर किया है।

हमने वकील की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वकील अपीलान्टस् ने अपील के समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खसरा नम्बर 102,103,672,700,701,703 पेश की है जिसमें ओमप्रकाश पुत्र जसकरण 1/2 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार है व जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 खसरा नम्बर 262,303,304,305,608,699 में जयकरण पुत्र दगडूराम 1/4 हिस्से का सहखातेदार काश्तकार है, जिससे स्पष्ट होता है कि औमप्रकाश द्वारा फर्जी तरीके से एक खाते की खातेदारी की भूमि नामान्तरण संख्या 120 के आधार पर स्वयं के नाम दर्ज करवाई गई है। दिनांक 02.06.2025 को औमप्रकाश द्वारा प्रार्थना–पत्र पेश कर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर म्यूटेशन संख्या 120 दिनांक 11.10.1977 को खारीज किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार ओमप्रकाश द्वारा भराया गया नामान्तरण को स्वयं द्वारा खारिज करने के निवेदन करने पर अपीलान्टस् की अपील स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्टस् स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या नामान्तकरण संख्या 120 दिनांक 11.10.1977 को स्वीकृत कर पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार परबतसर को लिखा जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 29.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामकुमार टाडा)
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर,